[27/7/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 2466]

मध्यप्रदेश
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 19-11/2017/12/1 भोपाल 23.5.17
दिनांकः-

प्रति,

कलेक्टर,
जिला - जबलपुर/नरसिंहपुर/होशंगाबाद/खण्डवा,
देवास/खरगौन/बड़वानी/धार/सीहोर/रायसेन,
मध्यप्रदेश।

विषयः- रेत के स्वीकृत उत्खनिपट्टे व्यापारिक खदान से उत्खनन कार्य निलंबित रखे जाने बावत।

विभाग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को उनके पक्ष में स्वीकृत रेत खनिज के उत्खनिपट्टे पर खनन संक्रियाएँ निलंबित रखे जाने के संबंध में आदेश दिनांक 22.5.2017 जारी किये गये हैं। आदेश की प्रति संलग्न है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

(जे. पी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

क्रमांक एफ 19-11/2017/12/1 भोपाल दिनांकः-

प्रतिलिपिः- संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

-: आदेश :-

क्रमांक - एफ 19-11/2017/12/१ भोपाल, दिनांक - 22.5.17

प्रति,

कार्यपालक संचालक,
म.प्र. राज्य खनिज निगम,
पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल (म.प्र.)

विषय - रेत के स्वीकृत उत्खननपट्टे/व्यापारिक ठेका खदान से उत्खनन कार्य निलंबित रखे जाने बावत।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को जिला जबलपुर/नरसिंहपुर/होशंगाबाद/हरदा/खण्डवा/देवास/खरगौन/बड़वानी/धार/सीहोर/रायसेन में गौण खनिज रेत के उत्खननपट्टे म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत नर्मदा नदी में रेत उत्खनन के लिए स्वीकृत किए गए हैं।

हाल ही में राज्य सरकार के संज्ञान में ऐसे तथ्य आये हैं कि नर्मदा नदी के प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, प्रदूषण के निवारण के हित में और लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राज्य शासन की यह प्रथम दृष्टया राय है कि नर्मदा नदी के प्राकृतिक पर्यावरण के परिरक्षण, बाढ़ के नियंत्रण, प्रदूषण के निवारण के हित में और लोक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जनहित में यह समीचीन है कि नर्मदा से रेत उत्खनन का कार्य तत्काल रोक दिया जावे और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये जाएं।

इसके लिए आपको खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4-क (2) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।

अतएव, एतद्द्वारा, आपके पक्ष में जारी उपरोक्त उत्खननपट्टा खदान के अधीन की जाने वाली उत्खनन संक्रियाएं तुरंत प्रभाव से निलंबित की जाती हैं और आपको आदेशित किया जाता है कि आप आगामी आदेश तक उपरोक्त उत्खननपट्टा के अधीन की जा रही खनन संक्रियाएं बंद कर दें।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

पृ. क्रमांक - एफ 19-11/2017/12/१ भोपाल, दिनांक - 22.5.17

प्रतिलिपि -

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, भोपाल।

अवर सचिव
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

परिशिष्ट-"3"

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

क्र. [illegible] /आर 2988/2016/12-1 भोपाल, दिनांक 29/05/17

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले, (म0प्र0)।

विषयः- नदियों से रेत उत्खनन के दौरान मशीनों के उपयोग पर प्रतिबंध।

निर्देशानुसार लेख है कि, भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 एवं इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार रेत खनिज की खदानों में खनन संचालन के लिये राज्य स्तरीय सिया/डिया द्वारा पर्यावरणीय अनुमति प्रदान की जाती है। रेत खनिज के मामले में दी गई पर्यावरणीय अनापत्ति में यह शर्त होती है कि, रेत का खनन मानव श्रम (मेन्यूअल) से किया जाए, जिसमें मशीनों से रेत के उत्खनन पर पूर्णतः प्रतिबंध है।

राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि, नदियों से रेत खनन में मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित किया जाये। राज्य शासन के इस निर्णय का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(वि.पी. श्रीवास्तव)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

पृ. क्र. /आर 2988/2016/12-1 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. समस्त कमिश्नर, मध्यप्रदेश।
2. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम, पर्यावास भवन, भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, ई-खनिज की ओर विभागीय वेब साईट में प्रदर्शित करने हेतु।
4. गार्ड फाईल हेतु।

अवर सचिव
म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग

D:\COVERING LETTERS\...